

FORM NO-III

फॉर्म अहकाम
(नियम 28)

#2020/00144
0034/2020

अज अदालत- अपीलिय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर

तरुण अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधि० एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

किरम मुकदमा- सूचना का अधिकार अधि.-2005

प्रकरण संख्या 34 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या निर्णय अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तर्जुमा में जारी हू
------------	--------------------------------	---

18/6/20

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अपीलान्ट के सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र/अपील सीमा का लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर की टिप्पणी सहित अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचना को लोक सूचना अधिकारी सूचीय प्रकार की बताते हुए प्रेषित प्रत्युत्तर से असन्तुष्ट होकर वह अपील अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र/अपील तथ्यों पर गौर नहीं करते हुए अपील बाबत प्रार्थी को नियमानुसार सूचित किये जाने की टिप्पणी भेजी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलान्ट के सूचना प्राप्ति के मूल आवेदन का पुनः अवलोकन कर नियमानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध/देय सूचना/उपयुक्त प्रत्युत्तर अपीलान्ट को 10 दिवस की अवधि में निशुल्क भिजवावे। अपील अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

Deewan
(विश्व माल शर्मा)
जिला कलक्टर अजमेर.